(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1619–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–4–12 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सिंगोट जिला खण्डवा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2010–11.

त्रिलोकचंद पिता गोपीकिशन पालीवाल
निवासी भगवानपुरा
तहसील खण्डवा जिला खण्डवा (पूर्व निर्माड़) ....आवेदक

विरूद्ध

1– भगवान पिता नारायण
2– राजेंद्र पिता माणकचंद पालीवाल (मृत)
द्वारा वारिसान–
(अ) श्रीमती सुनीताबाई पत्नी स्व. राजेंद्र
(ब) कुमारी खुशी पिता स्व. राजेंद्र
(स) कुमारी सान्या पिता स्व. राजेंद्र
ब,स नाबालिक तर्फे पालनकर्ता
माता श्रीमती सुनीताबाई
निवासीगण ग्राम भगवानपुरा
तहसील खण्डवा जिला खण्डवा
3– मीनाबाई पति स्व. माणकचंद पालीवाल
निवासी भगवानपुरा
तहसील खण्डवा जिला खण्डवा (पूर्व निर्माड़) ....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुशफिक खान, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त सिंगोट जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–4–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सिंगोट जिला खण्डवा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस

आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भगवानपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 590 रकबा 5.41 हेक्टयर एवं सर्वे कमांक 601 रकबा 0.20 हेक्टेयर उसके स्वामित्व की भूमि है । उक्त भूमियों पर आने–जाने हेतु रूढ़िगत रास्ता था, जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तरिम रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2010–11 दर्ज कर दिनांक 19–4–12 को अन्तरिम आदेश पारित कर आवेदक को निर्देशित किया गया कि वे अनावेदक कमांक 1 को प्रश्नाधीन रास्ते से आने–जाने में कोई अवरोध उत्पन्न न करें । तहसील न्यायालय इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा केवल बंदोबस्त में हुई त्रुटि, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि रास्ते के मद में दर्ज कर दी गई है, का लाभ लेना चाहता है, जबकि मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आवेदक की भूमि में से नवीन रास्ता देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पहलू को नजरअन्दाज किया गया है कि स्थल निरीक्षण के समय मौके पर कोई भी पगडंडी रास्ता नहीं पाया गया है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 के लिए शासकीय रास्ता उपलब्ध है, जो कि सुविधाजनक है, परन्तु अनावेदक कमांक 1 रंजिशवश आवेदक की भूमि में से रास्ता गया गया है, जिसे देने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन रास्ता, रूढ़िगत रास्ता है, जिसका उपयोग पीढ़ी–दर–पीढ़ी से किया जा रहा है और अनावेदक कमांक 1 को उसकी भूमि पर आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

(2) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिकी का गलत अर्थान्वयन कर रास्ता बन्द कर दिया गया है, जिसे खुलवाने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(3) वर्ष 1968–69 के राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में रास्ते का उल्लेख है, इससे भी रूढ़िगत रास्ता होना प्रमाणित है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के वारिसान एवं अनावेदिका कमांक 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये हैं । इस संबंध में 1988 आर.एन. 292 जानीबाई (श्रीमती) विरूद्ध ठाकर सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 131–अंतरिम आदेश–स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं । अतः प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त सिंगोट जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–4–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निराकरण किये जाने हेतु नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर